Annexure-8/1 (22)

137/B121/2012-13

कार्यालय कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

विरूद्ध

मेसर्स होप टेक्सटाईल्स लि
1 स्नेहलतागंज
इंदौर

-----अनावेदक

आदेश
(आज दिनांक 03 अक्टूबर ,2012 को पारित)

कस्बा इंदौर की भूमि सर्वे नम्बर 282/2 रकबा 22.24 एकड टेक्सटाईल्स मिल की स्थापना हेतु वार्षिक स्थाई लीज पर भूतपूर्व होलकर सरकार से प्रांईम मिनिस्टर ऑफीस सिक्का आर्डर नम्बर 3248/एफ दिनांक 2.09.1939 से मेसर्स नंदलाल भंडारी एण्ड सन्स को इंदौर रियासत द्वारा दी गई थी । यह कम्पनी एक्ट के अंतर्गत दिनांक 28.06.1949 को प्रतिस्थापित हुई । इसे रायबहादूर कन्हैयालाल भंडारी मिल को संचालन हेतु दी गई । रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी म.प्र. ग्वालियर द्वारा दिनांक 03.01.1976 को नंदलाल भंडारी मिल्स लि. का नाम होप टेक्सटाईल्स लि. किया गया । म.प्र.शासन, सर्वे एण्ड सेटलमेंट विभाग भोपाल द्वारा अपने आदेश कमांक 1953/2466/ viii/ 67 दिनांक 14.011.1967 से सदर मिल को जमीन का उप-पट्टे पर प्रदान करने की स्वीकृति दी गई ।

म.प्र.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 11.06.1982 के अनुसार कमांक 2686/32 में राज्य शासन की जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर होप टेक्सटाइल्स लि. इंदौर तथा मजदूरों के हितों का संरक्षण करने तथा मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के उद्देश्य से तथा अन्य से संबंधित पहलुओं पर विचार करने के पश्चात राज्य शासन ने निर्णय लिया कि मिल्स की वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए बैंक से ऋण उपलब्ध कराने के लिये पूर्व में दी गई 60 लाख की शासन गांरटी के अतिरिक्त रूपये 75 लाख की शासन गांरटी दी

TRUE COPY

। कम्पनी की कुल 22.24 एकड भूमि में से 8.24 एकड भूमि पर मिल स्थित है । शेष 14 एकड भूमि में से 1.97 एकड भूमि पर 60 फीट चौडी सडक का निर्माण किया जाकर शेष 12.03 एकड भूमि में से 60 प्रतिशत अर्थात 7.218 एकड भूमि राज्य शासन में वैष्ठित होगी तथा 40 प्रतिशत अर्थात 4.812 एकड भूमि कम्पनी के द्वारा वाणिज्यिक एवं आवासीय उपयोग के लिये विकसित करने के लिये उपलब्ध करायी जावेगी और उस भूमि के विकास से प्राप्त धनराशि मिल के नवीनीकरण एवं विकास के उपयोग में लाई जावेगी ।

म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक 2842/बत्तीस/82 भोपाल दिनांक 17.06.1982 द्वारा शासन के आदेश 2686/32 दिनांक 11.06.1982 में विनिर्दिष्ट निर्णय को अतिष्ठित करते हुए शासन द्वारा होप टेक्सटाईल लि. की यूनिट नं. 2 रायबहादूर कन्हैयालाल भंडारी मिल जहॉ पर की कुल 22.24 एकड भूमि है । उस भूमि में से 8.24 एकड भूमि पर मिल स्थित है । शेष 14 एकड भूमि में से 2.626 एकड भूमि पर 80 फीट चौडी सडक का निर्माण किया जाकर 11.374 एकड भूमि विभाजन के लिये है । इसमें 60 प्रतिशत भूमि अर्थात 6.8244 एकड भूमि शासन में वेष्ठित होगी तथा 40 प्रतिशत भूमि अर्थात 4.5496 एकड भूमि कम्पनी के द्वारा वाणिज्य एवं आवासीय उपयोग के लिये विकसित करने के लिये उपलब्ध होने के आदेश दिये गये ।

मेसर्स होप टेक्सटाईल्स लि. को सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिया जाकर उनका पक्ष तथा प्रस्तुत दस्तावेजों पर उन्हें समक्ष में भी सुना गया । मेसर्स होप टेक्सटाईल्स लि. की ओर से प्रभारी श्री कांतीलाल बम ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया तत्समय में जो अनुमतियॉ समय समय पर प्रदान की गई थी उन्हें दिनांक 6.12.80 तथा 11.6.1982 व 17.6.1982 को राज्य शासन के आदेश से निरस्त किा गया है । तत्पश्चात राज्य शासन की पॉलिसी आदेश दिनांक 29.6.88 के तहत मिल को सम्पूर्ण भूमि यूनिट कमांक 2 की 22.24 एकड व मिल की युनिट कमांक 1 की 3.15 एकड भूमि का विकास व विक्रय कर संसाधन संग्रहण के आदेश दिए गये । म.प्र.शासन आवास एवं

(D.K. Chhabra)
Advocate

पर्यावरण विभाग ने मिल की समस्त भूमि अपने गजट नोटिफिकेशन कमांक एफ 16–54/89/ 32 दिनांक 27.11.1996 के द्वारा वाणिज्यिक उपयोग हेतु रुपान्तरण किया गया । जिसके आधार पर नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा 10.31 एकड भूमि के अनुमोदित स्थल मानचित्र के विकास किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ । शासन आदेश के पालन में मिल द्वारा प्रत्याभूत समस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं का देय राशि भुगतान किया गया जिससे राज्य शासन अपने द्वारा दी गई समस्त प्रत्भूतियों से निवृत्त हुई । भूमि से 14.25 करोड रूपये एकत्रित कर उसका उपयोग किया गया ।

प्रकरण में शासन आदेश, उपलब्ध दस्तावेजों एवं मेसर्स होप टेक्सटाईल्स लि. के द्वारा प्रस्तुत जवाब व तर्को पर विचारोपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर निर्णय लिये जाना आवश्यक हुआ :–

1 क्या म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के जारी आदेश दिनांक 11.6.1982 तथा 17.06.1982 को किसी आदेश से शासन द्वारा निरस्त किया गया है ? यदि नहीं तो उसका कियान्वयन की स्थिति ?

2 क्या म.प्र.शासन, राजस्व विभाग द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 की धारा 20 की छूट उक्त आदेश को प्रभावित करती हे ?

3 क्या शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में रिक्त भूमि का कब्जा प्राप्त किया जाना चाहिये ?

प्रथम, म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक 2842/बत्तीस/82 भोपाल दिनांक 17.06.1982 द्वारा शासन के पूर्व आदेश 2686/32 दिनांक 11.06.1982 में विनिर्दिष्ट निर्णय बिन्दु कमांक 2 का अतिष्ठित करते हुए शासन द्वारा होप टेक्सटाईल लि. की यूनिट नं. 2 रायबहादूर

TRUE COPY
(D.K. Chhabra)
Advocate

कन्हैयालाल भंडारी मिल जहॉ पर की कुल 22.24 एकड भूमि में से 8.24एकड भूमि पर मिल स्थित है । शेष 14 एकड भूमि में से 2.620 एकड भूमि पर 80 फीट चौडी सडक (जो माल गोदाम रोड से नयापुरा एवं मिल की ओर से कमिश्नर आफिस से होती हुई महात्मा गांधी मार्ग से मिलेगी जो कि संलग्न नक्शे में दर्शायी गई है ।) का निर्माण किया जाकर शेष 11.374 एकड भूमि विभाजन के लिये है इसमें 60 प्रतिशत भूमि अर्थात 6.8244 एकड भूमि शासन में वेष्ठित होगी तथा 40 प्रतिशत भूमि अर्थात 4.5496 एकड भूमि कम्पनी के द्वारा वाणिज्य एवं आवासीय उपयोग के लिये विकसित करने के लिये उपलब्ध होगी ।

मेसर्स होप टेक्सटाईल्स की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया कि म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.6.1982 तथा आदेश दिनांक 17.06.1982 के संदर्भ में शासन की ओर प्राप्त पत्र कमांक 2226/ 2670/31–1/87 दिनांक 20.05.1987 से नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत विकास योजना में औद्योगिक भूमि के उपयोग बदलने के कोई प्रावधान नहीं होना बताते हुए श्री विमल पोतदार के समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये । इस पत्र का एक संशोधित पत्र 23.05.1987 को भी आवास पर्यावरण विभाग से जारी किया गया जिसमें पूर्व पत्र दिनांक 20.5.1987 की द्वितीय पंक्ति में औद्योगिक भूमि के स्थान पर केवल "भूमि " पढा जाना बताया गया है । उक्त पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसका आशय उक्त पत्र आवास पर्यावरण विभाग के आदेशों को निरस्त करने हेतु सूचित नहीं किया गया है । उक्त पत्रों की मंशा भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदनों से है, न कि शासन के पक्ष में वैष्ठित की गई भूमि से है । वैसे भी शासन द्वारा पारित आदेश अपनी विशिष्टियॉ लिये हुए है, जबकि प्रस्तुत कतिपय निरस्ती पत्र में आवेदक के आवेदन पत्रों का आधार देते हुए प्रस्तुत आवेदन निरस्त किये गये है इसमें दिनांक 11.6.1982 तथा 17.06.1982 के आदेशों की विशिष्टियों का उल्लेख नहीं किया गया है । औद्योगिक भूमि के स्थान पर केवल "भूमि" शब्द पढे जाने से राजस्व विभाग के अधिकार समाप्त नहीं किये जा सकते है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका कमांक 2358/92 मेसर्स

COPY

(D.K. Chhabra)
Advocate

होप टेक्सटाईल्स लि.विरूद्ध शासन में शासन आदेश दिनांक 11.6.1982 तथा 10.07.84 को स्वीकार किया है तथा वर्ष 1987 में जारी कतिपय पत्र से इनके निरस्त होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । प्रकरण का यह तथ्य स्पष्ट व निर्विवादित है कि प्रश्नागत भूमि 99 वर्ष की लीज पर तत्कालीन होलकर सरकार द्वारा अपने सिक्का आर्डर से सशर्त आबंटित की थी । मध्यप्रदेश शासन सर्वे तथा सेटलमेट विभाग के आदेश कमांक 1952/2466/ आठ/67 दिनांक 14.11.1967 द्वारा भंडारी एण्ड संस को यह अनुमति प्रदान की गई है कि वह इस भूमि को सब लीज कर सकती है, परन्तु आदेश की शर्त कमांक(डी) में यह उल्लेख है कि जो सबलीज पर दी जावेगी उसका उपयोग केवल "इण्डीस्ट्रल परपजेस" के लिये ही किया जावेगा । राज्य शासन द्वारा अपनी जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर मजदूरों का हित संरक्षण करने तथा मजदूरों को बेरोजगारी से बचाने के उद्देश्य से, ना केवल मिल की ऋण गांरटी को बढाया बल्कि शासन लीज पर दी हुई भूमि में रास्ता छोडकर शेष में से 40 प्रतिशत भूमि अर्थात 4.81 एकड को वाणिज्य एवं आवासीय उपयोग के लिए विकसित करने के लिये उपलब्ध कराई गई । शेष रही भूमि शासन में वैष्ठित की गई है ।

इसी भूमि के उपयोग परिवर्तन की सहमति राज्य शासन द्वारा 1967 तथा 1998 में दी गई है । यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि प्रश्नाधीन भूमि प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेज तथा मेसर्स होप टेक्सटाईल्स लि. के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रमाणित नहीं होता है कि म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग का आदेश कमांक 2687/बत्तीस/82 दिनांक 11.06.1982 तथा 2842/बत्तीस/ 82 दिनांक 17.6.1982 को निरस्त किया गया है ।

दूसरा, नगर भूमि सीमा अधिनियम,1976 की धारा 20 इस प्रकार है कि :–

1 इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी –

TRUE COPY
(D.K. Chhabra)
Advocate

(क) जहॉ कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि धारण करता है और राज्य सरकार का या तो स्वप्रेरणा से अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी भूमि के अवस्थान को, उस प्रयोजन को जिसके लिए भूमि का प्रयोग किया जा रहा है या करने की प्रस्थापना है और ऐसी अन्य सुसंगत बातों को जो मामलें की परिस्थितियों में अपेक्षित हो ; ध्यान मे रखते हुए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह सरकार, आदेश द्वारा ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करें, ऐसी रिक्त भूमि को इस अध्याय के उपबंधों से छूट दे सकेगी ।

(ख) जहॉ कोई व्यक्ति अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि धारण करता है और राज्य सरकार का स्वप्रेरणा से या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि इस अध्याय के उपबन्धों के लागू होने से ऐसे व्यक्ति को अनुचित कठिनाई होतो वह सरकार आदेश द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए यदि कोई हो जो वह आदेश में विनिर्दिष्टि करें ऐसी रिक्त भूमि को इस अध्याय के उपबन्धों से छूट दे सकेगी ।

परन्तु, इस खण्ड के अधीन कोई आदेश ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित किये बिना नहीं किया जाएगा –

2 यदि किसी समय राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किसी ऐसी शर्त का जिसके अधीन उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन छूट दी गई है , किसी व्यक्ति द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है तो राज्य सरकार प्रतिस्थापित प्रत्याहरण के विरूद्ध अभ्यावेदन करने के लिये ऐसे व्यक्ति को उचित अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा ऐसी छूट वापस लेने के लिये सक्षम होगी और तब इस अध्याय के उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

उक्त प्रावधानों से यह स्वतः स्पष्ट है कि धारा 20 के प्रावधान एवं छूट अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि पर ही लागू होना प्रावधानित है ।

TRUE COPY

(D.K. Chhabra)
Advocate

प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नम्बर 282/2 का कुल क्षेत्रफल 22.24 एकड भूमि के संबंध में जारी की गई है, इसकी स्थिति इस प्रकार है कि 8.24 एकड भूमि पर मिल स्थापित है जो नगर भूमि सीमा अधिनियम के प्रावधानों अनुसार अध्याय 3की धारा के परिप्रेक्ष्य में रिक्त भूमि नहीं है।

मेसर्स होप टेक्सटाईल्स मिल की ओर से शासन की उपर्युक्त निर्णय पर दी गई सहमति के बाद म.प्र.शासन, राजस्व विभाग द्वारा अपने आदेश कमांक एफ 20–22/ सात–9/ 83 दिनांक 10.07.1984 द्वारा नगर भूमि सीमा अधिनियम,1976 की धारा 20 के अंतर्गत सशर्त छूट दी गई कि "मिल के पास 22.24 एकड भूमि में से 8.24 एकड पर मिल स्थित है। शेष 14 एकड में से रास्ते की भूमि छोड कर शेष 12.03 एकड में से 7.21 एकड भूमि शासन में वैष्ठित की जावे।" इसके बाद बची 4.81 एकड भूमि वाणिज्यिक एवं आवासीय उपयोग के लिये अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई।

म.प्र.शासन राजस्व विभाग द्वारा म.प्र.शासन वाणिज्यिक एवं उद्योग विभाग के ज्ञापन कमांक 15.8.95/ 11/डी दिनांक 7.11.1997 के अनुसार बी.आई.एफ. आर. द्वारा होप टेक्सटाईल्स मिल के संबंध में स्वीकृत पुनर्वास योजना अनुसार अपेक्षित सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय अपने आदेश कमांक एफ 1–1/ सात–9/95 दिनांक 28.01.1998 द्वारा लिया गया जिसके अनुसार कम्पनी की देवास (क्षिप्रा) कृषि योग्य भूमि का मूल्याकंन कमिश्नर इंदौर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा। इसी आदेश में म.प्र.शासन द्वारा पूर्व आदेश कमांक 28–22/सात–9 /83 दिनांक 10.7.1983 को अतिकमित करते हुए होप टेक्सटाईल्स मिल की युनिट कमांक 1 की भूमि कुल रकबा 3.15 एकड तथा यूनिट कमांक 2 की भूमि 22.24 एकड जो मिल की लीज होल्ड भूमि है तथा इसके संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक 16.54–89–32 दिनांक 27.11.96 से भूमि औद्योगिक एवं सिविल सेंटर से कमशः वाणिज्यिक सह आवासीय एवं वाणिज्यिक के रूप में इंदौर विकास योजना 1991 में उपांतरित हुई के संबंध में नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम,1976 की धारा 20 के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन विमुक्त की गई। जिसमें यह शर्त भी

TRUE COPY

(D.K. Chhabra)
Advocate

रही है कि उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन तथा बी.आईएफ आर के पैकेज अपालन की दशा में उक्त विमुक्ति आदेश निरस्त करते हुए भूमि शासन में वैष्ठित मान ली जावेगी । इसी आदेश की शर्त कमांक 2 एवं 4 को आदेश कमांक एफ 1–1/सात/–9/95 दिनांक 9.9.98 से विलोपित करते हुए सरप्लस भूमि के विकय से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग बीमार ईकाईयों के पालिसी पैकेज दिनांक 20/06 की कंडिका 5 के प्रावधान के अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया ।

तीसरा, तहसीलदार नजूल इंदौर द्वारा अपने प्रतिवेदन 624/न0त0/2012 दिनांक 11.9.2012 में प्रतिवेदित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन में सदर भूमि के दक्षिण दिशा में 12.03 एकड भूमि बाउण्ड्रीवाल से धिरी हुई है तथा रिक्त भूमि के मध्य से पूर्व पश्चित की ओर 25 फीट का कच्चा रास्ता बना है जो बाउण्ड्रीवाल तक जाकर समाप्त हो जाता है । रिक्त भूमि के मध्य पश्चिमी भाग पर लगभग 13500 वर्गफीट पर एक बहुमंजिला पक्का निर्माण है जिस पर वर्तमान में नाहटा कोचिंग क्लासेस चल रही है । सीमाकंन प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि न्यू सियागंज लगभग 10.21 एकड भूमि पर स्थापित है । शेष भूमि रिक्त है, जिसमें एक मंदिर एवं एमपीईबी का ग्रिड बना है । वर्तमान में मौके पर कोई मिल स्थापित नहीं है, जिसे शासन द्वारा टेक्सटाईल उद्योग हेतु लीज पर दी गई थी तथा वर्तमान में वह उद्देश्य समाप्त हो चुका है ।

उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 11.06.1982 के अनुरूप न होकर मौके पर जिस भूमि पर मिल के स्थापित होना मानते हुए 8.24 एकड भूमि को मुक्त रखा गया था । वह मिल आज मौके पर नहीं है , उस भूमि का उपयोग भी औद्योगिक रूप में नहीं हो रहा है । मौके पर नया सियागंज के नाम से भूमि को उप लीज पर दी गई है । इसी प्रकार नगर भूमि सीमा अधिनियम 1976 के तहत विमुक्ति का आदेश दिनांक 10.07.1984 के संबंध में भी यह स्पष्ट है कि दिनांक 28.01.1998 में जारी आदेश पूर्व आदेश 10.7.1984 के कम में किया गया आदेश है जिसका लाभ

TRUE COPY
(D.K. Chhabra)
Advocate

संस्था इस आधार पर नहीं उठा सकती है कि उक्त विमुक्त आदेश से भूमि को संस्था की मानी गई है । जिसका उपर्युक्त कंडिका में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है ।

म.प्र.शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक 2842/बत्तीस/82 भोपाल दिनांक 17.06.1982 द्वारा दी गई व्यवस्था अनुसार राज्य शासन में वेष्ठित भूमि पर स्थित समस्त भवनों को कंपनी द्वारा स्वयं के व्यय से तोडकर खुली भूमि की सुपुर्दगी शासन को दी जाना था । आदेश में यह भी स्पष्ट है कि शासन द्वारा कंपनी को केवल 40 प्रतिशत भूमि अर्थात 4.5496 एकड को विकसित किये जाने की अनुमति दी गयी है । तथा भूमि को रिक्त कराने की जिम्मेदारी भी कम्पनी को दी गई थी साथ ही यह भी स्पष्ट किया था कि आवश्यकता होने पर भूमि को रिक्त किये जाने में लगने वाला मुआवजा भी कम्पनी को देना होगा । यह स्पष्टतः शासन में भूमि को वैष्ठित करने तथा उसकी सुरक्षा की दृष्टि से लिया गया निर्णय है ।

प्रकरण में आये उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं शासन आदेशों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण के विचारण में आये तीनों ही बिन्दुओं की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि शासन द्वारा 8.24 एकड भूमि जिस पर तत्समय मिल स्थापित होना पाते हुए को छोडा गया था वह वर्तमान में मौके पर रिक्त है । इसके अतिरिक्त 2.620 एकड पर सड़क के निर्माण हेतु तथा 6.8244 एकड भूमि शासन में वैष्ठित हो चुकी है । अतएव सम्पूर्ण रिक्त भूमियों को शासनहित में तत्काल कब्जे में लिया जाव ।

नजूल अधिकारी इंदौर शासन में भूमि का कब्जा प्राप्त कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

Sd/-

कलेक्टर,
जिला इंदौर म.प्र.

TRUE-COPY
(D.K. Chhabra)
Advocate

31

पृ0क्र0 / 5095 / रीडर / 2012 इंदौर,दिनांक 3.10.2012

प्रतिलिपि:–

1 अपर कलेक्टर इंदौर

2 सहायक कलेक्टर इंदौर

3. तहसीलदार नजूल इंदौर की ओर आदेश की प्रति भेज कर लेख है कि आदेश पर कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन आज ही प्रस्तुत करें।

नजूल अधिकारी,
जिला इंदौर

TRUE-COPY
(D.K. Chhabra)
Advocate